

सविलि सेवा में लेटरल एंट्री

संदर्भ

वर्ष 2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार के सभी विभागों के प्रमुख सचिवों की दो बार बैठक बुलाई थी। 'शासन में सुधार' सरकार का एक अहम एजेंडा है। पछिले वर्ष जुलाई में ही सरकार ने केंद्र-नयित्वांक प्राधकिरण से सविलि सेवाओं में सचिव स्तर पर लेटरल एंट्री के ज़रयि नयिकृतियों के संदर्भ में प्रस्ताव पत्र तैयार करने को कहा था। लेकिन इन प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया।

हालाँकि, इस मामले में अब सकरयिता दखिाते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने कार्मकि एवं प्रशकिषण विभाग को इसके लयि प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। सरकार चाहती है कि नजिी क्षेत्र के कार्ककारी अधकिारयिों को लेटरल एंट्री के ज़रयि विभिन्न विभागों में उप सचिव, नदिशक और संयुक्त सचिव रैंक के पदों पर नयिकृत कयिा जाए।

लेटरल एंट्री के माध्यम से नयिकृतयिाँ आवश्यक क्योँ ?

- के. पी. कृषणन और टी. वी. सोमनाथन ने सविलि सेवाओं की प्रभावशीलता को एक संस्थागत नकियाय के आर्थकि महत्त्व के आलोक में परभाषति कयिा है, उनके अनुसार 'सरकार के आर्थकि संस्थाओं के संचालन मूल्य को कम करने के साथ-साथ उसकी क्षमता को बनाए रखना भी सविलि सेवकों का एक मुख्य दायतिव है।
- दरअसल, यह माना जा रहा है कि भारतीय प्रशासनकि सेवा विभिन्न मायनों में देश की तत्कालीन राजयार्थ व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। नीचे के कुछ बढिुओं के माध्यम से हम भारत की वर्तमान राजयार्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं के बारे में जान सकते हैं:
- जब भारत आज़ाद हुआ था तब देश में सामाजकि-आर्थकि वकिस को अधकि महत्त्व दिया जा रहा था जो कि आवश्यक भी था। एक नए राष्ट्र को बांधे रखने के लयि सामाजकि ज़रूरतों का महत्त्व आर्थकि ज़रूरतों से अधकि था। संविधान सभा ने भी इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सविलि सेवकों की महत्त्वपूरण भूमकिा होने का ज़किर कयिा था।
- 7 दशकों से लगातार एक ही पैटर्न पर काम करने के कारण धीरे-धीरे सविलि सेवकों का एक ऐसा वर्ग तैयार हो गया जो व्यवस्था कि आर्थकि ज़रूरतों को साधने में लगातार असफल रहा है।
- अब वह दौर नहीं रहा जब सविलि सेवक को सरकार के एक बाध्यकारी एजेंट के तौर पर कार्क करने की ज़रूरत हो। आज सामाजकि-आर्थकि वकिस के लयि केवल तय नयिमों एवं कानूनों में बंधे रहकर कार्क करना पर्याप्त नहीं है, आज आर्थकि ज़रूरतों का भी महत्त्व उतना ही है जतिना कि सामाजकि ज़रूरतों का।
- वर्तमान में अमेरिका जैसी अर्थव्यवस्थाएँ जहाँ वैश्वीकरण से स्वयं को आज़ाद करना चाहती हैं, वहीं भारत का बढ़ता बाज़ार वैश्वीकरण से उल्लेखनीय लाभ ले सकता है। ऐसे में हमें नीति-नरिमाण और प्रभावी प्रशासन के लयि वशिष कौशल और जज़ान प्राप्त सविलि सेवकों की ज़रूरत है।
- कसिी नजिी नकियाय में वर्षों तक उत्कृष्ट कार्क करने वाले कार्ककारी प्रमुखों का लेटरल एंट्री के ज़रयि सचिव स्तर के सविलि सेवक का पद देना प्रशासन को प्रभावी बनाने में महत्त्वपूरण साबति हो सकता है।

महत्त्वपूरण है द्वितीय प्रशासनकि आयोग की रपिरट

- वदिति हो कि द्वितीय प्रशासनकि सुधार आयोग का गठन 31 अगस्त, 2005 को "वीरप्पा मोड्ली" की अध्यक्षता में कयिा गया था। आयोग को सरकार के सभी स्तरों पर देश के लयि एक सकरयि, प्रतकिरयिाशील, जवाबदेह, संधारणीय और कुशल प्रशासन सुनश्चिाति करने के उद्देश्य से सुज़ाव देने की ज़मिमेदारी दी गई थी।
- द्वितीय प्रशासनकि सुधार आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लेटरल एंट्री के लयि एक संस्थागत, पारदर्शी प्रकुरयिा स्थापति की जानी चाहयि।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2016 में गठति बासवन समतिि ने अपनी रपिरट में कहा था कि बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में 75 से अधकि आईएएस अधकिारयिों की कमी है और राज्य प्रतनयिकृति के तौर पर अधकिारयिों को केंद्र में भेजे जाने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसे में लेटरल एंट्री पर गौर कयि जाने की ज़रूरत है।

कनि बातों का रखना होगा ध्यान ?

- सविलि सेवा में लेटरल एंट्री देना तभी अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है, जब चयन प्रकुरयिा को राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाया जा सके।
- लेटरल एंट्री की व्यस्था केवल वहीं की जानी चाहयि, जहाँ कसिी वशिष क्षेत्र में लक्ष्य आधारति परिणाम हासलि करने की ज़रूरत हो।

- लेटरल एंट्री के माध्यम से चयनति सविलि सेवकों की संख्या इतनी अधिक न हो कथूपीएससी द्वारा चयनति सदस्य स्वयं को उपेक्षति महसूस करें ।
- यदपहले के अनुभवों की बात करें तो, कुछ ही ऐसे लोग हैं जो यूपीएससी द्वारा चयनति होकर नहीं आए हैं फरि भी शीर्ष स्तर पर शानदार काम कथिा है जैसे:-रघुराम राजन और नंदन नीलकेणी ।
- अतः लेटरल एंट्री के व्यवस्था के नरिमाण में उपरोक्त बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहयि, अन्यथा एक बेहतरीन उद्देश्यों वाली व्यवस्था कारगर सदिध होने के बजाय घातक हो सकती है ।

नषिकर्ष

सरकार की तमाम योजनाएँ प्रशासनिक अधिकारयिों के बल पर ही कामयाब हो पाती हैं । अगर वे अपना कर्त्तव्य नभाने में लापरवाही बरतते हैं तो योजनाएँ चाहे जतिनी दूरगामी हों, वे नाकाम ही साबति होती हैं । इसलयि अपेक्षा की जाती है कथिप्रशासनिक अधिकारी जनता से नकिटता बनाएँ, उसकी जरूरतों को समझें और स्थतियिों के अनुरूप कदम बढ़ाएँ । लेकनि इन उद्देश्यों की पूर्ता के लयि हमें सचवि स्तर पर ऐसे नीत-नरिमाताओं की आवश्यकता है, जो बदलते भारत की जरूरतों से वाकफि हों । सविलि सेवाओं के लयि चयन का अधिकार संवधिान के तहत केवल यूपीएससी को दथिा गया है, इसलयि इससे बाहर जाकर नयुक्तयिों करना लोकतान्त्रिकि मूल्यों पर तो आघात होगा ही, साथ ही इस परीक्षा से जुड़ी मेरटि आधारति, राजनीतिकि रूप से तटस्थ सविलि सेवा के उद्देश्य को भी क्षति पहुँचेगी । लेकनि यदसचवि स्तर के सविलि सेवकों तक ही यह व्यवस्था सीमति रहती और बनिा कसी राजनैतिकि हस्तक्षेप के कार्य करती है तो इसे आजमाया जा सकता है ।

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/lateral-entry-into-civil-services>

